भारत COURT FEE INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(233)

न्यायालय माननीय राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्र0 क्र0 /2017 रिवीजन

I/निगरानी/विदिशा/भू0रा0/2017/1648

बाबूसिंह पुत्र देवी सिंह जाति लोधी निवासी
ग्राम हामदपुर तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा
मध्य प्रदेश ---------------- रिवीजनकर्ता
(रिस्पा0क्र01

बनाम

1: देवी सिंह पुत्र भाव सिंह जाति लोधी निवासी
ग्राम हामदपुर तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा

2:- रामनाथ पुत्र महाराजसिंह
3:- नारायण सिंह पुत्र महाराजसिंह
4:- किरणबाई पत्नि देवी सिंह
5:- जगदीश पुत्र देवी सिंह

रिस्पा0क्र0 6 राजेन्द्र सिंह मृत वारिस :

==============================

6:- रोहित पुत्र राजेन्द्र सिंह
7:- मोनू पुत्र राजेन्द्र सिंह

8:- रमेश पुत्र भगवन्ता
9:- सरमन पुत्र भगवन्ता
10:- रतनबाई पत्नि भगवन्ता
11:- गोपाल पुत्र शंकर
12:- केशव सिंह पुत्र नारायण सिंह जाति लोधी
निवासीगण ग्राम हामदपुर तह0 ग्यारसपुर
13:- जगदीशप्रसाद पुत्र देवी सिंह
14:- सुरेन्द्र सिंह पुत्र दौलत सिंह
15:- धीरेन्द्र सिंह पुत्र दौलत सिंह
16:- भूपेन्द्र सिंह पुत्र दौलत सिंह
17:- राजेन्द्र नाबालिग पुत्र दौलत सिंह सर0मा0
लक्ष्मीबाई बेवा दौलतसिंह जाति लोधी निवासी
ग्राम हामदपुर तहसील ग्यारसपुर जिला विदिशा म0प्र0

---- प्रतिरेस्पान्डे

धर्मेन्द्र द्वारा 06.6.17 को
प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट,
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

06/06/17

(3)

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 उ0प्र0भू0रा0संहिता खिलाफ आदेश तारीखी 31/5/ 2017 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय गंज जसोदा प्र0 क्र0 15/अपील 2015-16 व मामले देवी सिंह बनाम बाबूसिंह आदि -भूमि ग्राम हामदपुर तह0 ज्योदा

====================================

श्री मान महोदय

रिवीजन के तथ्य इस प्रकार है

1:- यह कि रिवीजनकर्ता एवं प्रति रिवीजनकर्ता क्र0 1 आपस में पिता पुत्र है आपस में दोनो के मध्य एवं अन्य भाई बहनो के मध्य सहमति से दिनांक 27/11/2012 को प्र0 क्र0 5/अ-27/2012-13 में बटवारा स्वीकृत हुआ उक्त बटवारे में सभी ने अपनी सहमति के हस्ताक्षर किये बटवारा अनुसार सभी अपनी अपनी भूमि पर काबिज हुये बटवारा होने के 3 साल बाद प्रति रिवीजनक क्र0 1 द्वारा उक्त आदेश दिनांक 27/11/2012 को निरस्त कराने हेतु एक अपील अवधि बाहर दिनांक 31/10/2015 को प्रस्तुत की अपील के साथ धारा 5 अवधि विधान का आवेदन पेश किया रिवीजनकर्ता एवं प्रति रिवीजन गृहीता क्र0 2 लगायत 17 तामील उपरान्त उपस्थित हुये रिवीजनकर्ता ने धारा 5 अवधि विधान का जबाब पेश किया अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने के बाद उक्त आवेदन पर बहस श्रवण की बहस श्रवण करने के पश्चात अपील समय सीमा में मानते हुये गुण दोषो पर निराकृत करने हेतु अंतिम तर्क हेतु दिनांक 5/6/2017 नियत की उक्त आदेश दिनांक 30/5/2017 से दुखी : होकर यह रिवीजन निम्न आधारो पर पेश है ।

रिवीजन के कारण निम्न लिखित है

============================

1:- यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कानून एवं रिकार्ड है जिस में विधि का सही रूप से पालन नही किया गया है ।

2:- यह कि अधीनस्थ न्यायालय तहसील में रिवीजनकर्ता के पिता देवी सिंह प्रति रिवीजनगृहीता क्र0 1 द्वारा बटवारे का आवेदन प्रस्तुत किया गया था आवेदन पेश करने के बाद सहमति से फर्द तैयार कराई गई और फर्दों पर सहमति

के हस्ताक्षर किये ...

233

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/1648

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के.के. द्विवेदी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 27-3-19 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	